रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियत्रक का कार्यालय माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002

ई मेल-: <u>ro.ajmer@ibm.gov.in</u> सं**ः**–राज / पाली –48 / चूनापत्थर–06

प्रेषित मै निरमा लिमिटेड निरमा हाउस, आश्रम रोड अहमदाबाद 380009



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

दिनांक.

विषयः राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित आपकी सिनला चूनापत्थर खान क्षेत्रफल 49.71 हैक्टेयर **मे** खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के प्रावधानो का उल्लंघन

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 23/12/2016 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

Rule No	Nature of violations observed in detail
13(1)	The mining operations had not been carried out in accordance to the approved scheme of
	mining to the extent as below.
	(i) The advancement of the benches in pit 4 and 5 are not carried out as per proposal
	given in approved mining plan.
27(4)	The plans and sections required under rule 28 have not been maintained upto date within
	three months.
29	Copies of plans and sections maintained under rule 28 have not been submitted before 30 th
	June 2016.
45(5) (aa)	Monthly return required to be submitted to the Regional Controller of Mines before 10th
	day of every month in respect of the preceding month in electronic form, along with a
	print-copy of the same, if it is not digitally signed in the respective form as prescribed
	under rule, has not been submitted online for the month of April, 2016.
45 (5) (b)	Annual return required to be submitted to the Regional Controller of Mines before the 1st
	day of July each year in respect of the preceding financial year in electronic form, along
	with a print-copy of the same, if it is not digitally signed in the respective form as
	prescribed under rule, has not been submitted online for the year 2015-16.

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
 - (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

उप खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

- मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :— 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर। 2) खनि अभियन्ता,, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सीटी को सूचनार्थ प्रेषित।

उप खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो